

प्रेस नोट
दिनांक 14.01.2025

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल करने के आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार,

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0- 960/2024 धारा 191(2), 110, 115(2), 352, 351(2) बीएनएस से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त 01. रमन जायसवाल, 02. रामनाथ गुप्ता को लालपुर चन्द्रभान सड़क के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी अरूण कुमार पुत्र रामधीरज निवासी लालपुर चन्द्रभान साल पट्टी थाना को0नगर, जनपद गोण्डा द्वारा थाना कोतवाली नगर को सूचना दी गई कि दिनांक 28.12.2024 को जमीनी विवाद को लेकर विपक्षीगण एक राय होकर गाली गुप्ता देने लगे मना करने पर लाठी, डण्डा, मुक्का, थप्पड़ आदि से मार पीट कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया, प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर में मु0अ0स0- 960/2024 धारा 191(2), 110, 115(2), 352, 351(2) बीएनएस बनाम रामनाथ आदि 06 नफर अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 14.01.2025 को नामजद अभियुक्तों 01. रमन जायसवाल पुत्र रामशब्द निवासी शालपट्टी मौजा लालपुर चन्द्रभान थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा व 02. रामनाथ गुप्ता पुत्र रामतीरथ निवासी शालपट्टी मौजा लालपुर चन्द्रभान थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा को लालपुर चन्द्रभान सड़क के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. रमन जायसवाल पुत्र रामशब्द निवासी शालपट्टी मौजा लालपुर चन्द्रभान थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।
02. रामनाथ गुप्ता पुत्र रामतीरथ निवासी शालपट्टी मौजा लालपुर चन्द्रभान थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0- 960/2024 धारा 191(2), 110, 115(2), 352, 351(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 उमाशंकर उपाध्याय
02. का0 संदीप यादव
03. का0 राजू खरवार

मीडिया सेल, गोण्डा